वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2018–2019)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 2981055

वेबसाईट : www.mperc.in

ई–मेल : secretary@mperc.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण	5–8
4.	वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु।	9–11
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित।	12
6	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या	13
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति।	14
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी।	15–16

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

डॉ. देव राज बिरदी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 7.2.2015 से पदस्थ हैं एवं आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री मुकुल धारीवाल दिनांक 2.1.2018 से पदस्थ हैं तथा श्री अनिल कुमार झा दिनांक 22.1.2018 से दिनांक 30.11.2018 तक पदस्थ रहे हैं ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान / सेवानिवृत्त
1.	डॉ. देव राज बिरदी	अध्यक्ष	07.2.2015	13.01.2020	वर्तमान
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री अनिल कुमार झा	सदस्य	22.01.2018	30.11.2018	त्याग पत्र

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसाार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित है ।

अध्याय – 3

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ़ आदेश

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
	विद्युत उत्पादन दर (Generation Tariff)			
1	P- 66, वर्ष 2017	एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक 35, वर्ष 2016 के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1)(च) के अन्तर्गत दाखिल की गई पुनर्विलोकन याचिका (रिव्यू पिटीशन)	25.4.2018
2	P- 57, वर्ष 2017	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (बीना)	याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश में स्थापित 2X250 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना हेतु किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86(1)(क) सहपठित मप्रविनिआ उत्पादन टैरिफ विनियम, 2015 के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका	24.5.2018
3	P- 41, वर्ष 2017	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (निगरी)	याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निगरी में स्थापित 2X660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र हेतु किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86(1)(क) सहपठित मप्रविनिआ उत्पादन टैरिफ विनियम, 2012 के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका	20.7.2018
4	P- 02, वर्ष 2018	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 14.7.2016 के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की विद्युत उत्पादन दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई याचिका	24.7.2018

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिका कर्ता	विषय	आदेश की तिथि
5	P- 20, वर्ष 2018	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें), विनियम 2015 के परन्तुक (proviso) 54 तथा 55 के अन्तर्गत म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की कमी के कारण शिथिलीकरण एवं कठिनाई दूर करने हेतु दिशा–निर्देशों की प्राप्ति हेतु, दाखिल की गई याचिका	9.8.2018
6	P- 11, वर्ष 2018	मेसर्स एम.बी. पावर (एमपी) लिमिटेड	याचिका आयोग के आदेश दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनूपपुर स्थित 2X600 मेगावाट परियोजना की इकाई क्रमांक 1 के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1)(क) के अन्तर्गत दाखिल की गई है	6.9.2018
7	P- 7, वर्ष 2018	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (निगरी)	याचिका अवधि 1.4.2016 से 31.3.2019 हेतु 2X660 मेगावाट जेपी निगरी की सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86(1)(क) के अन्तर्गत दाखिल की गई है	29.11.2018
8	P- 10, वर्ष 2018	मेसर्स एम.बी. पावर (एमपी) लिमिटेड	याचिका अनूपपुर स्थित एमबी विद्युत परियोजना की 2X600 मेगावाट की इकाई क्रमांक 2 हेतु इकाई क्रमांक 2 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु अन्तिम विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86(1)(क) के अन्तर्गत दाखिल की गई है	29.11.2018
9	P- 28, वर्ष 2018	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86(1)(एक) सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2015 के अन्तर्गत बरेला–गोरखपुर, जिला सिवनी मध्य प्रदेश की 1X600 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना की विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वाणिज्यक प्रचालन तिथि (3.5.2016) से नियन्त्रण अवधि की अन्तिम तिथि अर्थात 31.3.2019 तक के लिये दाखिल की गई है	30.11.2018

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिका कर्ता	विषय	आदेश की तिथि
10	P- 14, वर्ष 2018	एमपी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	याचिका म.प्र. पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के 'माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM)' के पुनरीक्षण हेतु याचिका क्रमांक 40/एमपी/2016 में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 20.12.2016 के आधार पर म.प्र. राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MP SLDC) द्वारा दाखिल की गई है	02.2.2019
11	P- 31, वर्ष 2018	म.प्र. पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	याचिका श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (SSTPP) चरण– II, इकाई क्रमांक 3 तथा 4 (2X660 मेगावाट), खण्डवा की वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अन्तरिम विद्युत–दर (Provisional Tariff) के अवधारण हेतु दाखिल की गई है	7.3.2019
	विद्युत पारेषण दर (Transmission Tariff)			
1	P- 65, वर्ष 2017	मध्य प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MP SLDC)	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उदग्रहण तथा संग्रहण संबंधी के मामले में	22.5.2018
2	P- 48, वर्ष 2018	मध्य प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MP SLDC)	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उदग्रहण तथा संग्रहण संबंधी के मामले में	07.3.2019
3	P- 58, वर्ष 2017	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	याचिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु जारी किये गये बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) आदेश दिनांक 10 जून 2016 के माध्यम से अवधारित की गई म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (MPPTCL) की पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई है	04.5.2018
	अनुज्ञापन एवं विनियम			
1	SMP- 18, वर्ष 2017	लघु जल विद्युत परियोजनाऐं	मध्य प्रदेश राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश	21.12.2018

(ब) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 03/2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	03.05.2018
2	याचिका क्रमांक 01/2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एस.ई.जेड. पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	28.05.2018
3	याचिका क्रमांक 33/2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	30.11.2018

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 03.05.2018 को जारी किया गया । इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

1 आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी की विद्युत दरो में कोई वृद्धि नही की गई है एवं विद्युत दरे खुदरा टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2017–18 के यथावत रखी गई है।

2 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 33,996 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 31766.50 करोड की आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–2016 के मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा मप्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ आदेशों के सत्यापन एवं विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2012–2013 के पूरक बिलो का वित्तीय प्रभाव सम्मलित है। स्वीकृत सकल राजस्व आवश्यकता एवं अनुमानित कुल राजस्व आय में कोई भी अंतर नहीं है।

3 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

कम्पनी	वर्ष 2018–19 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	**16%**
पश्चिम	**15%**
मध्य	**17%**

टैरिफ के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

(i) घरेलू उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.2 के लिए स्थाई प्रभार का निर्धारण :– उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार का निर्धारण पूर्व मे प्रचलित प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवॉट के अधिकृत भार के समतुल्य के स्थान पर प्रत्येक 15 यूनिट खपत के लिए 0.1 किलोवॉट या उसके भाग के आधार पर होगा। स्थाई प्रभार 0.1 किलोवॉट के अनुपात मे निर्धारित किया गया ।

(ii) एल.व्ही. 1.2 के अन्तर्गत स्वयं के आवास परिसर के निमार्ण हेतु अस्थायी संयोजन :– एल.व्ही. 1.2 श्रेणी के अस्थायी संयोजन के निश्चित शुल्क रूपये 390 और 350 प्रति किलोवॉट स्वीकृत भार प्रतिमाह को

कम करके रूपये 300 और 250 प्रति किलोवॉट स्वीकृत भार प्रतिमाह क्रमशः शहरी और ग्रामीण कनेक्शन के लिए किया गया ।

(iii) घरेलू और गैर घरेलू श्रेणियों के लिए प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट मे वृद्धि :– प्रीपेड मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में लागू ऊर्जा शुल्क पर 20 पैसे प्रति यूनिट छूट में वृद्धि कर इसे 25 पैसे प्रति यूनिट किया गया है।

(iv) अस्थायी टैरिफ :– जहां अस्थायी कनेक्शन/आपूर्ति के लिए दरें स्थायी दरें पर 1.3 गुना चार्ज हो रहीं थी, इनको कम करके 1.25 गुना किया गया।

(v) अनुबंध मांग/संयोजन जोड में वृद्धि :– एलटी 5.3 श्रेणी (मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, (aquaculture) रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms), तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण,) के लिए मांग–आधारित टैरिफ को अनुबंध मांग/संयोजन लोड 100 एचपी से 150 एचपी तक संशोधित किया गया है।

(vi) एल.वी. 4 श्रेणी के लिए न्यूनतम खपत :– एल.वी. 4 श्रेणी के लिए न्यूनतम खपत क्रमशः ग्रामीण और शहरी कनेक्शन में प्रतिमाह 15 और 30 यूनिट प्रति एच.पी. से 10 और 20 यूनिट प्रति एच.पी. तक घटा दी गई है।

(vii) एल.वी. 5.1 और एल.वी. 5.4 श्रेणियों के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा और लेखांकन का आधार :–

फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए मानक इकाईयों को शहरी और ग्रामीण कनेक्शनों के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित किया गयाः–

पंप/मोटर	यूनिट प्रति एच.पी. संयोजित भार प्रतिमाह	
	शहरी एवं ग्रामिण	
	अप्रैल से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
थ्री फेस	95	170
सिंगल फेस	95	180

(viii) मौजूदा एल.टी. औद्योगिक/गैर–घरेलू कनेक्शन को संबंधित एच.टी.कनेक्शन में परिवर्तित करना :– मौजूदा एल.टी. उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान का प्रावधान किया गया जो वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एच.वी. 3 श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं।

(ix) नए रेलवे कर्षण प्रोजेक्ट के लिए छूट में वृद्धि :– नए रेलवे कर्षण भार के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई और ये वित्त वर्ष 2021–22 तक लागू रहेगी।

(x) **एच.वी. 3.1 की प्रयोज्यता श्रेणी :** – शीत भंडार (Cold Storage)एच.वी. 3.1 श्रेणी में शामिल किए।

(xi) **वर्तमान एच.टी. कनेक्शन के लिए छूट :** – वृद्धिशील खपत पर पूर्व में प्रचलित 10 प्रतिशत छूट के स्थान पर 60 पैसे प्रति यूनिट छूट प्रदान की गई।

(xii) **केप्टिव पॉवर प्लांट उपभोक्ताओं के लिए छूट :**–छूट की प्रयोज्यता को वित्त वर्ष 2021–22 तक अनुमति दी गई है। यह छूट म.प्र. में स्थित केप्टिव पॉवर प्लांट के लिए है। केप्टिव उपभोक्ता को रू. 2 प्रति यूनिट की छूट आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation) में कमी होने पर प्रदान की जावेगी ।

(xiii) **ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए छूट :–** ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को, जो वर्तमान में ओपन एक्सेस के माध्यम से मांग पूरी कर रहे हैं एवं परिवर्तित होकर लाइसेंसी द्वारा विद्युत प्रदाय लेना चाहते हैं, उन्हें उनके वृद्धिशील खपत पर एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

(xiv) एल.वी. और एच.वी. में इलेक्ट्रिक वाहन/इलेक्ट्रिक रिक्शा को चार्ज करने के लिए अलग–अलग टैरिफ श्रेणी बनाई गई है।

(xv) एच.टी. अस्थायी टैरिफ की अतिरिक्त मांग जो वर्तमान में स्थायी टैरिफ की तुलना में 1.5 गुना अस्थायी टैरिफ पर बिल किया जाता है, को घटाकर 1.25 गुना किया गया है।

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित :–

स. क.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना/ दिनांक
1	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन– व्यवस्थापन क्रिया विधि तथा संबंधित मामले), विनियम, 2018	513/मप्रविनिआ/2018	20.4.2018
2	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2016 में प्रथम संशोधन ।	343/ मप्रविनिआ/2019	8.3.2019
3	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2015 में प्रथम संशोधन ।	342/मप्रविनिआ/2019	15.3.2019
4	म0प्र0वि0नि0आ0 (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध मे विनियम तथा सिद्धांत) विनियम 2015 में प्रथम संशोधन।	1712/मप्रविनिआ/2018	30.11.2018

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 29 याचिकाएं जिसमे 03 स्वप्रेरणा याचिका सम्मिलित है पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 07 याचिकाएं शेष थी। इस प्रकार कुल 36 याचिकाओं में से 27 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 09 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 में जारी रहेगी।

विनियम प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 17 याचिकाएं जिसमे 01 स्वप्रेरणा याचिका सम्मिलित है पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 12 याचिकाएं शेष थी। इस प्रकार कुल 29 याचिकाओं में से 09 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 20 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 17 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 08 याचिकाएं शेष थी। इस प्रकार कुल 25 याचिकाओं में से 14 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 11 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 में जारी रहेगी।

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण कियाविधि की कार्य पद्धति

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण कियाविधि की कार्य पद्धति के लिये अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के माध्यम से " मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004" तथा अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2009 के द्वारा "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009" को अधिसूचित किया है । जिसमें मुख्य उद्देश्य निम्न है:–

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक या एक से अधिक फोरम(ों) का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोदिष्ट किया जाएगा । ये फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान सामान्यतः छः सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में आठ सप्ताह से अधिक न होगी । प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम से कम एक फोरम की स्थापना की जाएगी ।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोदिष्ट कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता के अपनी शिकायत के निराकरण हेतु विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता है:–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी / अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों में शोध संस्था में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाती है । समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय, भोपाल समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नियर सर्किट हाउस चौक, सतना (म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेश गुप्ता	अध्यक्ष, ''लघु उद्योग भारती'', 99, पोलोग्राउण्ड, इंदौर–453003 (म.प्र.)	उद्योग
3	श्री उल्लास वैद्य	मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)–456010	उद्योग
4	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, विल पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)–466445	उद्योग
5	श्री मनोज मोदी	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, 86 मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)–462003	उद्योग
6	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई–2/20, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल–462016 (म.प्र.)	उद्योग

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	मुख्य विद्युत वितरण अभियंता	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, (म.प्र.)–483119	परिवहन
8	श्री सुनील गौर	अध्यक्ष, नर्मदा बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, रेवगांव, तह. बुदनी जिला– सीहोर (म.प्र.)–466001	कृषि
9	श्री हरि बिसानी	कृषक, बनखेड़ी, तह. पिपरिया, जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)–461990	कृषि
10	श्री दिलीप कुमार झुमकलाल भण्डारी	ग्राम व तहसील –पेटलावाद, जिला–झाबुआ (म.प्र.)–45773	कृषि
11	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तह. मनावर जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
12	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक/मजूदर
13	श्री नरेन्द्र पाटीदार	ग्राम–गुरदियालाल मुहा, तह. दालोदा, जिला– मंदसौर (म.प्र.)–458667	उपभोक्ता
14	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला–भोपाल (म.प्र.)–462023	गैर शासकीय संगठन
15	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेनर, 433/2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
16	श्रीमती सविता नेमा	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (मैनिट) भोपाल (म.प्र.)–462007	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
17	श्री बी.ए. सावले	एडीशनल डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)–462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान